

दुआ

श्री अशोक वाजुनी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र 2 तन्हाय केन्द्र,  
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 9 अक्टूबर, 1997

विषय:- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद केन्द्रों की संख्या के अनुपात में प्रमाण पत्र दिए जाने में उच्च शिक्षा विभाग के निम्नलिखित दृष्टिकोणों के अन्तर्गत नहीं है :-

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे एक कले का निदेश प्राप्त है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद केन्द्रों की संख्या के अनुपात में प्रमाण पत्र दिए जाने में उच्च शिक्षा विभाग के निम्नलिखित दृष्टिकोणों के अन्तर्गत नहीं है :-

- 1. विद्यालय की पर्याप्त तैयारी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2. विद्यालय की प्रमुख कमियाँ में शिक्षा विभाग द्वारा नाकाम रहने का कारण होगा ।
- 3. विद्यालय में कम से कम एक पुस्तकालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित एक से अधिक छात्र नहीं लिया जायेगा ।
- 4. सेवा द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जो अर्थ नहीं कर के कारिगीर और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद के केंद्रिक शिक्षा परिषद के संख्या प्राप्त है तथा विद्यालय की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र सटीक/सही/संशोधित नहीं दिल्ली के प्राप्त होती है तो उच्च शिक्षा विभागों के संख्या प्राप्त होने को शिक्षा विभाग के संख्या तथा उच्च शिक्षा विभाग से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5. सेवा केन्द्र एवं शिक्षा विभाग के कारिगीरों को राखीय सहायता प्राप्त शिक्षा विभागों के कारिगीरों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के अन्तर्गत तथा अन्य अर्थों में कम वेतनमान तथा अन्य अर्थों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6. कारिगीरों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आसानीय उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कारिगीरों को अनुसूचित सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

*Satwant Singh*  
Manager  
J.P. Public School  
Baraut (U.P.)

*[Signature]*  
PRINCIPAL  
J.P. Public School  
Delhi Road, Baraut (U.P.)



17) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निकाले कि कार्डिंग, सतफा उनका पालन करेगी ।

18) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/पंजीकों में रखा जायेगा ।

19) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि सतफा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय का भूमि/भवन सी०बी०एल०ई० नई दिल्ली की ओरानुसार 30 वर्ग के सीकर पर उक्त आतनादेश दिनांक 30-11-91 की व्यवधानुसार निजी स्वामित्व में है । स्थिति के आत्म ही भी अग्रगत कराया जाय । भूमि का क्षेत्र सी०बी०एल०ई० की ओरानुसार वर्णित है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सतफा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि सतफा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की रूक या कठिनाई परती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनारहित पुस्तक एवं कागज के बिना जायेगा ।

भवदीय,

प्रमुख शिक्षक  
संयुक्त तहसील ।

पुनः 2620111/15-7-1997 तदुद्दिनांक  
\*\*\*\*\*

सुनिश्चित निम्नलिखित को सुवचार्य एवं आवायक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- केंद्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, अग्रे भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, केपी० पब्लिक स्कूल देही रोड बारात मेरठ ।

आटा है

Patwari Singh  
Manager  
J.P. Public School  
Baraut (U.P.)



PRINCIPAL  
J.P. Public School  
Delhi Road, Baraut (U.P.)

प्रमुख शिक्षक  
संयुक्त तहसील ।